न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रावणियाद

बनाम

अप्रार्थी – श्री प्रसाराम मेघवाल निवासी शतावद अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 51/2018

निर्णय दिनांक

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रावणियाद ने अप्रार्थी के विरुद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद घोलिया के खसरा नम्बर 182 मैं. किस्म बा.4 मे रकबा 0.036 बीघा भूमि में मकान लगा कर अतिकमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी प्रसाराम से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर — प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा घोलिया के खसरा नम्बर 182 किस्म गै. बा.4 में रकबा 0.036 बीघा की भूमि पर अतिकमण किया जाना वर्तमान मे सिद्व होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 3.– रूपये प्रति बीघा की दर से अतिकमित रकबा 0.036 बीघा भूमि के 0.09 रूपये लगान का 50 गुणा 5/– /– अक्षरे पॉच रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनॉक 16.8.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा